



कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज क्षेत्र
उत्तर प्रदेश वन निगम,
संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाइन्स, प्रयागराज - 211001

दस्तावेज क्र. 32-2427500
ई-मेल: mmall@upf.in



पत्रांक 1336 / तेन्दू पत्ता बिक्री / 2025
सेवा में,

/दिनांक 24/10/2025

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक / विक्रय अधिकारी
उत्तर प्रदेश वन निगम,
दुदही / झोंसी / वाराणसी।

विषय- वर्ष 2025 सीजन में संग्रहीत तेन्दूपत्ता की लाटों एवं पूर्व वर्षों की अवशेष तेन्दू पत्ता की बिक्री दिनांक 30.10.2025 की बिक्री सूची एवं शर्तों का प्रेषण।

संदर्भ- इस कार्यालय का पत्रांक-1325/ते0प0 बिक्री / 2025, दिनांक-18.10.2025

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में दिनांक 30.10.2025 को आमंत्रित वर्ष 2025 सीजन की तेन्दू पत्ता की अवशेष लाटों एवं पूर्व वर्षों की अवशेष लाटों की बिक्री हेतु बिक्री सूची एवं बिक्री शर्तें एक प्रति में एतदसह संलग्नकर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त की प्रति आपको ई-मेल से भी भेज दी गयी है। तथा बिक्री सूची की सूचना एवं बिक्री शर्तों को उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रभागीय अधिकारी, (कम्प्यूटर) अनुभाग, उत्तर प्रदेश वन निगम को भेजा जा रहा है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

महाप्रबन्धक / पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक

प्रयागराज

पत्रांक- 1336 / तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
बिक्री सूची एवं बिक्री शर्तें आपको ई-मेल से भी भेज दी गयी है-

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
3. महाप्रबन्धक (तेन्दू पत्ता / पूर्वी), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ / इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक (झोंसी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
5. प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, नजीबाबाद (सहारनपुर)
6. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, गीरजापुर, प्रयागराज एवं कर्वा।
7. विक्रय अधिकारी (सिस्टम), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न बिक्री सूची को उत्तर प्रदेश वन निगम की ई0आर0पी0 पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- यथोपरि

महाप्रबन्धक / पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक

प्रयागराज

तेन्दू पत्ता की विक्रय सूची वर्ष-2025 सीजन
रेनुकूट लौगिंग प्रभाग की
वर्ष 2025 सीजन की सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क0 सं0	लाट संख्या	सेक्सन/इकाई का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0 बोरा	मा0 बोरा	
1	2	3	4	5	6	7
1	R-A-68/25	गौरसिंहा	Gaursinha	101	80.800	निशान्त कु0 जायसवाल गोदाम दुद्धी
कुल 01 लाटे		योग-		101	80.800	

वर्षा से प्रभावित लाटें

क0सं 0	लाट संख्या	सेक्सन/इकाई का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0 बोरा	मा0 बोरा	
1	2	3	4	5	6	7
1	R-B 01/25	भीसुर	Bhisur	140	111.110	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम दुद्धी
2	R-B 03/25	जरहा पूर्वी-अ	Jarha East-A	605	483.100	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम दुद्धी
3	R-B 04/25	जरहा पूर्वी-ब	Jarha East-B	703	553.360	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम दुद्धी
4	R-B 06/24	जरहा पश्चिमी	Jarha West	405	323.260	निशान्त कुमार जायसवाल गोदाम दुद्धी
कुल लाटें 04		योग-		1853	1470.830	
कुल 05 लाटें		प्रयागराज क्षेत्र का कुल योग		1954	1551.630	

तेन्दू पत्ता की विक्रय सूची वर्ष-2024 सीजन
रेनुकूट लौगिंग प्रभाग की
वर्ष 2024 सीजन की सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क0 सं0	लाट संख्या	सेक्सन/इकाई का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0 बोरा	मा0 बोरा	
1	2	3	4	5	6	7
1	R-A-41/24	जरहा पूर्वी ब	Jarha East -B	362	287.250	अशोक शुक्ला गोदाम दुद्धी
2	R-A-69A/24	नीमियाडीह	Nimiyadih	1135	960.700	भानुमति दूबे गोदाम दुद्धी
कुल 02 लाटे		योग-		1497	1247.950	

वर्षा से प्रभावित लाटें

क्र०सं०	लाट संख्या	सेक्सन/इकाई का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	मा० बोरा	
1	2	3	4	5	6	7
1	R-B 29/24	मचबन्धवा	Machbandhwa	8	7.600	भानुमति दूबे गोदाम दुद्धी
2	R-B 34/24	बैना	Baina	6	4.500	भानुमति दूबे गोदाम दुद्धी
कुल लाटें 02		योग—		14	12.100	

सी-1 स्टॉक की लाटें

क्र० सं०	लाट संख्या	सेक्सन/इकाई का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	मा० बोरा	
1	2	3	4	5	6	7
1	R-C 01/24-25	बभनी रेंज	Banhni Range	6	4.200	भानुमति दूबे गोदाम दुद्धी
2	R-C 02/24-25	जरहा रेंज	Jarha Range	4	3.000	अशोक शुक्ला गोदाम दुद्धी
कुल लाटें 02		योग—		10	7.200	
कुल लाटें 11		प्रभाग का कुल योग		3475	2818.880	

तेन्दू पत्ता की विक्रय सूची वर्ष-2024 सीजन

मिर्जापुर लौगिंग प्रभाग की

वर्ष 2024 सीजन की सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र० सं०	लाट संख्या	सेक्सन/इकाई का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	मा० बोरा	
1	2	3	4	5	6	7
1	M-A-29/24	पुरना	Purna	32	23.705	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
01 लाटें		कुल योग		32	23.705	

तेन्दू पत्ता की विक्रय सूची वर्ष-2024 सीजन

प्रयागराज लौगिंग प्रभाग की

वर्ष 2024 सीजन की बी ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र० सं०	लाट संख्या	सेक्सन/इकाई का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	मा० बोरा	
1	2	3	4	5	6	7
1	P-B-01/24	बड़ोखर- II	Barokhar-II	23	18.900	विभूतिधाम फेवरी- रामनगर, वाशबसी-३
01 लाटें		योग—		23	18.900	
02 लाटें		प्रभाग का कुल योग—		55	42.605	

सी-1 स्टॉक की लाटें

क0 सं0	लाट संख्या	सेक्सन/इकाई का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0 बोरा	मा0 बोरा	
1	2	3	4	5	6	7
1	M-C 02/24-25	सी-1 स्टॉक	C-1 Stok	8	0.00	गुर्मा रेंज परिसर
2	M-C 24/24-25	सी-1 स्टॉक	C-1 Stok	24	0.00	प्रभागीय वनाधिकारी परिसर, सोनमद्र
कुल लाटें 02		योग-		32	0.00	
लाटें 04		प्रभाग का कुल योग-		87	42.605	
कुल 15 लाटें		प्रयागराज क्षेत्र का कुल योग		3594	2885.190	

वर्ष 2024 सीजन में कर्वी लौगिंग प्रभाग की तेन्दूपत्ता इकाईयों की बिक्री सूची

क0 सं0	लाट संख्या	इकाई	UNIT	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0बो0	मा0बो0	
1	K-A 6/24	बघौरा	Baghaura	179	143.300	अतर्रा गोदाम
2	K-A 16 (A)/24	दुगवां ।	Dugawa I	874	620.780	अतर्रा गोदाम
3	K-A 27/24	भौरी	Bhauri	974	680.585	टी0पी0गुप्ता गोदाम
4	K-A 33 (A)/24	इटवा ।	Etva I	1033	783.876	टी0पी0गुप्ता गोदाम
5	K-A 33 (B)/24	इटवा II	Etva II	1071	805.055	टी0पी0गुप्ता गोदाम
6	K-A 33 (C)/24	इटवा III	Etva III	1082	824.426	टी0पी0गुप्ता गोदाम
7	K-A 35 (B)/24	गढवा II	Gadawa II	45	33.450	अतर्रा गोदाम
07 लाटें		प्रभाग का कुल योग-		5258	3891.472	

वर्ष 2024 सीजन में झांसी लौगिंग प्रभाग की तेन्दूपत्ता इकाईयों की बिक्री सूची

क0 सं0	लाट संख्या	इकाई	UNIT	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0बो0	मा0 बोरा	
1	L-A 03/24	सैपुरा	Saipura	161	122.150	गौना गोदाम
2	L-A 06/24	पाली	Pali	268	213.655	गौना गोदाम
3	L-A 21/24	नीमखेड़ा	Neemkheda	414	363.130	गौना गोदाम
	03 लाटें	प्रभाग का कुल योग		843	698.935	
	कुल 10 लाटें	लखनऊ क्षेत्र का कुल योग		6101	4590.407	
	कुल 25 लाटें	प्रयागराज क्षेत्र एवं लखनऊ क्षेत्र का कुल योग		9695	7475.597	

मीरजापुर लौगिंग प्रभाग, मीरजापुर
वर्ष 2023-24 सीजन की सी-1 स्टॉक की लाटें

लाट संख्या	सेक्सन/इकाई का नाम		भण्डारित की मात्रा		रेन्ज का नाम
			वा0 बोरा	मा0 बोरा	
2	3	4	5	6	7
M-C 05/23-24	सी-1 स्टॉक (सारनाथ डीयर पार्क)	C-1 Stock	25	0.000	सारनाथ डीयर पार्क
01 लाट	कुल योग		25	0.000	

वर्ष-2021 सीजन -कर्वी लौगिंग प्रभाग की सामान्य ग्रेड की लाटें

लाट संख्या	इकाई	UNIT	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
			वा0बो0	मा0बो0	
K-A 47/21	सरहट अ	SARHAT A	447	225.725	मण्डी समिति गोदाम मऊ, मानिकपुर
	योग:-		447	225.725	

वर्ष-2021 सीजन -कर्वी लौगिंग प्रभाग की वर्षा से प्रभावित लाटें

लाट संख्या	इकाई	UNIT	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
			वा0बो0	मा0बो0	
K-B 6/21	रामनगर सेक्शन	RAMNAGAR SECTION	456	296.400	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
	योग		456	296.400	
	वर्ष 2021 सीजन का कुल योग		903	522.125	

वर्ष-2021 सीजन-रेनुकूट लौगिंग प्रभाग की वर्षा से प्रभावित लाटें

लाट संख्या	इकाई	UNIT	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
			वा0बो0	मा0बो0	
R-B 68/21	जुगैल अ	Jugail A	208	133.730	जुगैल द्वितीय गोदाम, जुगैल
R-B 90/21	म्यौरपुर	Myorpur	791	618.254	भागीरथी गोदाम, हिराचक दुद्धी
R-B 91/21	म्यौरपुर	Myorpur	300	222.899	भागीरथी गोदाम, हिराचक दुद्धी
03 लाटें	योग:-		1299	974.883	
06 लाटें	प्रयागराज क्षेत्र एवं लखनऊ क्षेत्र का कुल योग		2227	1497.008	

तेन्दू पत्ता की विक्रय सूची वर्ष-2020 सीजन

रेनुकूट लौगिंग प्रभाग की
वर्ष 2020 सीजन की वर्षा से प्रभावित की तेन्दू पत्ता की लाटें

लाट संख्या	सेक्सन का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
			वा0 बोरा	मा0 बोरा	
2	3	4	5	6	7
R-B 07/20	बभनी-1	Babhani-1	460	339.700	अन्जू जायसवाल गोदाम दुद्धी
R-B 17/20	डाला	Dala	300	209.165	रमेश कुमार जायसवाल, गोदाम दुद्धी
R-B 64/20	ओबरा	Obra	63	43.300	परसोई गोदाम, परसोई
03 लाटे	कुल योग		823	592.165	

वर्ष-2020 सीजन -कर्वी लौगिंग प्रभाग की वर्षा से प्रभावित लाटें

लाट संख्या	इकाई	UNIT	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
			वा0बो0	मा0बो0	
K-B 03/20	कर्वी सेक्शन	KARWI SECTION	478	306.955	अतर्रा गोदाम
K-B 5/20	मारकुण्डी सेक्शन	MARKUNDI SECTION	900	516.978	रसिन गोदाम
K-B 6/20	मारकुण्डी सेक्शन	MARKUNDI SECTION	890	511.235	रसिन गोदाम
K-B 7/20	मारकुण्डी सेक्शन	MARKUNDI SECTION	870	499.745	रसिन गोदाम
K-B 8/20	मारकुण्डी सेक्शन	MARKUNDI SECTION	880	505.492	रसिन गोदाम
K-B 10/20	रामनगर सेक्शन	RAMNAGAR SECTION	389	252.324	अतर्रा गोदाम
K-B 13/20	रसिन सेक्शन	RASIN SECTION	1018	674.426	रसिन गोदाम
	योग:-07		5425	3267.155	

प्रयागराज क्षेत्र एवं लखनऊ क्षेत्र का कुल प्रभागवार/ वर्षवार विवरण सहित योग:-

क्र०सं०	प्रभाग का नाम	श्रेणी	वर्ष	लाटों की संख्या	वा० बोरा	मा०बोरा
1	रेनुकूट लौगिंग प्रभाग	सामान्य	2025	01	101	80.800
2	रेनुकूट लौगिंग प्रभाग	वर्षा से प्रभावित	2025	04	1853	1470.830
3	रेनुकूट लौगिंग प्रभाग	सामान्य	2024	02	1497	1247.950
4	रेनुकूट लौगिंग प्रभाग	वर्षा से प्रभावित	2024	02	14	12.100
5	रेनुकूट लौगिंग प्रभाग	सी-01 स्टाक	2024	02	10	7.200
6	मिर्जापुर लौगिंग प्रभाग	सामान्य	2024	01	32	23.705
7	प्रयागराज लौगिंग प्रभाग	वर्षा से प्रभावित	2024	01	23	18.900
8	मिर्जापुर लौगिंग प्रभाग	सी-01 स्टाक	2024	02	32	0.00
9	कर्वी लौगिंग प्रभाग	सामान्य	2024	07	5258	3891.472
10	झाँसी लौगिंग प्रभाग	सामान्य	2024	03	843	698.935
11	मिर्जापुर लौगिंग प्रभाग	सी-01 स्टाक	2023	01	25	0.000
12	कर्वी लौगिंग प्रभाग	सामान्य	2021	01	447	225.725
13	कर्वी लौगिंग प्रभाग	वर्षा से प्रभावित	2021	01	456	296.400
14	रेनुकूट लौगिंग प्रभाग	वर्षा से प्रभावित	2021	03	1299	974.883
22	रेनुकूट लौगिंग प्रभाग	वर्षा से प्रभावित	2020	03	823	592.165
23	कर्वी लौगिंग प्रभाग	वर्षा से प्रभावित	2020	07	5425	3267.155
	योग:-			41	18138	12808.220

कार्यालय-क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।

पत्रांक- 1325 /ते०प०/बिक्री/2025

/दिनांक 18-10-2025

सेवा में,

मे० आर०डी०

एडवरटाइजिंग प्रा० लि०,

257, चक जीरो रोड-प्रयागराज।

विषय- तेन्दू पत्ता बिक्री सम्बन्धी सूचना का प्रकाशन।

महोदय,

कृपया निम्नलिखित सूचना को निम्न लिखित समाचार पत्रों में दिनांक 23.10.2025 को कम से कम स्थान में (Size 6cm*7cm=42 Sq cm में) केवल एक बार प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशन के उपरान्त विज्ञापन बिल सरकारी विभागों हेतु निर्धारित न्यूनतम दरों पर तैयार कर प्रकाशित सामग्री की प्रति सहित दो प्रतियों में इस कार्यालय को भुगतान हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया प्रकाशित समाचार पत्र की एक-एक प्रति पुष्टि हेतु तुरन्त इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें-

1. दैनिक जागरण, प्रयागराज, वाराणसी एवं झाँसी संस्करण।
2. हिन्दुस्तान, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी एवं लखनऊ संस्करण।
3. दैनिक भास्कर, रायपुर एवं जबलपुर।
4. अमर उजाला, बरेली एवं मुरादाबाद।
5. दैनिक आज, पटना एवं राँची।
6. आजकल, कोलकाता।
7. टाइम्स ऑफ इंडिया, भोपाल, पटना, राँची एवं कोलकाता संस्करण।
8. दि हिन्दू दैनिक समाचार पत्र, हैदराबाद।



उत्तर प्रदेश वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाइन्स, प्रयागराज

दूरभाष एवं फैक्स -- +91532-2427536

तेन्दू पत्ता बिक्री हेतु खुली-सार्वजनिक नीलामी सूचना-नीलाम तिथि-30.10.2025

सर्वे साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2025 सीजन की अवशेष एवं पूर्व वर्षों एवं अन्य अवशेष तेन्दूपत्ता की लाटों की बिक्री खुले-नीलाम प्रणाली के माध्यम से वाराणसी, दुद्धी एवं झाँसी विक्रय प्रभाग की लाटों का समिति नीलाम दिनांक 30.10.2025 के पूर्वान्ह 11:00 बजे से नीलाम की समाप्ति तक प्रयागराज स्थित कुम्भ मेलाधिकारी, समाचार कक्ष (ICCC) त्रिवेणी बाध, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में किया जायेगा।

उक्त नीलाम से सम्बन्धित बिक्री सूची व बिक्री शर्तें क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज क्षेत्र, प्रयागराज, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ अथवा उनके अधीन प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, दुद्धी, वाराणसी एवं झाँसी के कार्यालय से कमशः दिनांक 24.10.2025 से कार्यालय अवधि में निर्धारित मूल्य का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। बिक्री सूची व बिक्री शर्तें दिनांक 24.10.2025 से उ० प्र० वन निगम की वेबसाईट

www.upforestcorporation.co.in एवं <http://upfctendupatta.in> पर भी उपलब्ध रहेगी।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज

भवदीय

महाप्रबन्धक/पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक

प्रयागराज

पत्रांक-1325/ते0प0/बिकी/2025/उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ के पत्रांक ते0प0-5493/ते0प0बिकी वर्ष 2025 दिनांक 14.10.2025 के क्रम में।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, प्रयागराज, मीरजापुर, कानपुर, बुन्देलखण्ड व बरेली।
4. महाप्रबन्धक (तेन्दू पत्ता), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक (विपणन/उत्पादन/पूर्वी), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ/प्रयागराज।
6. वन संरक्षक, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, झाँसी, चित्रकूट।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
9. जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चन्दौली, चित्रकूट, बाँदा, झाँसी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, जौनपुर, रायबरेली, मुरादाबाद एवं ज्योतिबा फुलेनगर।
10. प्रमाणीय वनाधिकारी/निदेशक, मीरजापुर, ओबरा, रेनुकूट, सोनभद्र, कैमूर वन्य जीव, भदोही, रामनगर वाराणसी, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बाँदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, झाँसी, ललितपुर व उरई (जालौन)।
11. समस्त प्रमाणीय लौगिंग/विक्रय प्रबन्धक, लौगिंग अधिकारी/विक्रय अधिकारी, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज एवं लखनऊ क्षेत्र।
12. प्रमारी अधिकारी (कम्प्यूटर), कम्प्यूटर अनुभाग उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस नीलाम सूचना को उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
13. तेन्दूपत्ता केतागण को डाक से।
14. कार्यालय सूचना पट।

महाप्रबन्धक/पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक

प्रयागराज



(69)

उत्तर प्रदेश वन निगम के द्वारा संग्रहीत तेन्दू पत्ता की खुले नीलाम द्वारा बिक्री हेतु शर्तें

1. नीलाम परिसर में प्रवेश—नीलाम परिसर में प्रवेश हेतु प्रत्येक व्यक्ति (आवश्यक सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर) को ₹0 10000/- (दस हजार रुपये मात्र) गेटमनी के रूप में नीलाम स्थल पर उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा अधिकृत कर्मचारी के पास जमा करना होगा। गेटमनी नीलाम स्थल पर नीलाम के दिन प्रातः 9.00 बजे से जमा की जायेगी। असफल क्रेताओं को उक्त धनराशि नीलाम की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात वापस कर दी जायेगी तथा सफल क्रेताओं के मामले में यह धनराशि जमानत के रूप में समायोजित कर दी जायेगी। परन्तु नीलाम में किसी प्रकार का व्यवधान तथा गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ गेटमनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
2. नीलाम के दौरान सद्व्यवहार— नीलाम में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति तथा बोली देने वाले नीलाम के दौरान सद्व्यवहार करेंगे। यदि व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होगा जिससे नीलाम में कोई बाधा पड़े तो नीलामकर्ता अधिकारी को अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति को नीलाम से बाहर निकाल/निकलवा दें और ऐसे व्यक्तियों की बोली स्वीकार न करें। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अन्य कानूनी कार्यवाही करने का भी अधिकार होगा। यदि नीलाम करने वाले अधिकारी को विश्वास हो जाय कि किसी व्यक्ति ने नीलाम में गड़बड़ी या अड़चन पैदा की तो उनकी गेटमनी जब्त कर ली जायेगी तथा उसको अवांछित घोषित कर दिया जायेगा।
3. नीलाम परिसर में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र ले जाने का निषेध— नीलाम परिसर में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
4. पत्ता का ग्रेड एवं "जहाँ भी है जैसे है" के तहत बिक्री —
(अ) वन निगम द्वारा संग्रहीत तेन्दू पत्ता को गोदामों में निम्नलिखित दो श्रेणियों में अलग-अलग भण्डारित किया गया है —
 1. सामान्य ग्रेड (ए):— ग्रेड-बी के अतिरिक्त अन्य समस्त पत्ता।
 2. वर्षा से प्रभावित या पानी से खराब ग्रेड (बी):—वर्षा प्रभावित बोरों का ऐसा पत्ता जो भीग जाने के कारण मटमैला/काला हो गया है।सामान्य ग्रेड का पत्ता गोदामों में इकाईवार एवं लाटवार तथा वर्षा से प्रभावित श्रेणी का पत्ता इकाईवार/सेक्सनवार एवं लाटवार भण्डारित है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लाट की बिक्री या निकासी "जहाँ भी है जैसे है" के तहत की जायेगी एवं वर्गीकरण के सम्बन्ध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा। इच्छुक क्रेता बोली देने से पूर्व पत्ते का भली-भाँति निरीक्षण करके पत्ते की गुणवत्ता का ऑकलन स्वयं करके बोली दें। पत्ते की गुणवत्ता या श्रेणी के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत बाद में मान्य या स्वीकार नहीं की जायेगी।
(ब) शर्त संख्या 1(अ) के अनुसार लाट की बिक्री "जहाँ भी है जैसे है" के तहत होते हुए भी निगम को आवश्यकतानुसार लाट के तेन्दू पत्ता बोरों की पल्टाई, तौल एवं जाँच आदि करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसे "जहाँ भी है जैसे है" के शर्त का कोई उल्लंघन नहीं समझा जायेगा।
(स) गोदाम में बिक्री हुई लाट को यदि किसी परिस्थितिवश दूसरे गोदाम में स्थानान्तरण करना हो तो, वन निगम को ऐसा करने का अधिकार होगा, जिसकी सूचना कम से कम दस (10) दिन पूर्व क्रेता को उसके द्वारा अनुबन्धित पते पर प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा लिखित रूप में दी जायेगी।

- छँटाई का प्रतिबन्ध— लाट के बोरो की निकासी लगी हुई छल्ली में एक तरफ से दी जाएगी। निकासी के दौरान बोरा को काटकर पत्ता या बोरा छँटने की अनुमति नहीं होगी। वह क्रेता जो लाट की निकासी छल्ली में से अपनी सुविधानुसार लेना चाहते हैं वह लाट का पूरा मूल्य एकमुश्त जमा करके ऐसा कर सकते हैं। परन्तु निकासी की अवधि इन विक्री शर्तों के अनुसार होगी।
- 6— तेन्दूपत्ता नीलाम की बिक्री सूची एवं बिक्री शर्तें नीलाम सूचना में सूचित दिनांक से सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक कार्यालय से निर्धारित मूल्य का भुगतान कर कार्यालय अवधि से प्राप्त किया जा सकता है। बिक्री सूची एवं बिक्री शर्तें नीलाम सूचना में सूचित दिनांक से वन निगम की वेबसाइट www.upforestcorporation.co.in पर उपलब्ध होंगी।
- 7— लाटवार बोली एवं दर— नीलाम में विक्रय सूची के अनुसार लाटवार बोली ली जायेगी एवं दर रूपया-चैसा प्रति कि०ग्रा० में ली जायेगी।
- 8— बिना कारण बताये किसी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार— लाटों का नीलाम सामान्यतः उच्चतम बोली के आधार पर किया जायेगा परन्तु उत्तर प्रदेश वन निगम उच्चतम अथवा किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा। निगम को यह अधिकार होगा कि वह उच्चतम अथवा किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दें।
- 9— लाट का अनुमोदन— नीलाम में प्राप्त उच्चतम बोली के आधार पर लाटों के अनुमोदन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय इस हेतु अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।
- 10— जमानत— लाट की बोली समाप्त होते ही हथौड़ा गिरने पर उच्चतम बोली तथा द्वितीय उच्चतम बोली देने वाले व्यक्तियों को तुरन्त ही बिडलिस्ट पर हस्ताक्षर करना होगा तथा उच्चतम बोलीदाता को लाट के कुल अनुमानित विक्रय मूल्य (शत प्रतिशत भण्डारण वजन या ऐसा न होने पर 30 कि०ग्रा० प्रति वास्तविक बोरा वजन मानते हुए) का पन्द्रह प्रतिशत (परन्तु वर्षा से प्रभावित श्रेणी के तेन्दू पत्ता की लाटों के लिये जमानत की धनराशि लाट के अनुमानित विक्रय मूल्य का पच्चीस प्रतिशत) धनराशि बतौर जमानत एवं उस पर देय जी०एस०टी० तुरन्त जमा करना होगा। देय जमानत की धनराशि के रूप में प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० वन निगम के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक पर बना हुआ बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर अथवा आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० अथवा अन्य किसी अनुमन्य ऑनलाइन माध्यम से जो लखनऊ/इलाहाबाद/वाराणसी/दुधौ/झाँसी पर देय हो, स्वीकार किया जायेगा। देय जमानत जमा न करने पर लाट की पुनः बिक्री कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित बोलीदाता की गेटमनी जब्त कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त उसका नाम काली सूची में दर्ज करने पर विचार किया जायेगा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 185 के अधीन कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- 11— नीलाम स्वीकृति की सूचना— नीलाम अनुमोदन की सूचना सफल बोलीदाता को सामान्यतया सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के कार्यालय से वाट्सएप/एस०एम०एस०/ई-मेल/ अन्य माध्यम से क्रेता के बिडलिस्ट में दिये गये पते पर नीलाम की तिथि से चालीस (40) दिन के अन्दर दे दी जायेगी। उक्त स्वीकृति की सूचना यदि सफल बोलीदाताओं को नीलाम की तिथि से चालीस (40) दिन के अन्दर नहीं प्राप्त होती है तो, उन्हें चाहिए कि वे सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के कार्यालय से संपर्क कर इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर लें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो, स्वीकृति/अस्वीकृति अथवा अन्य जैसी भी स्थिति हो, की सूचना उन्हें प्राप्त हुई मानी जायेगी। परन्तु किन्हीं कारणवश, जो वन निगम के नियंत्रण से परे हो, वन निगम स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लेने में अपने को असमर्थ पाये तो, ऐसी परिस्थिति में चालीस (40) दिन की अवधि में वह अवधि भी जुड़ जायेगी, जितनी अवधि तक वन निगम उसके

नियंत्रण से परे परिस्थितियों के तहत स्वीकृति/अस्वीकृति या किसी भी प्रकार की सूचना दे में असमर्थ रहा। सम्बन्धित विक्रय प्रभाग के सूचना पट पर नीलाम स्वीकृति की सूचना चस्पा कर दी जायेगी और इसे उक्त की सूचना समझा जायेगा। नीलाम परिणाम उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाइट **www.upforestcorporation.co.in** पर भी उपलब्ध होगी।

12. सफल क्रेता द्वारा बिडलिस्ट में दिये गये पते पर पंजीकृत पत्र/पत्रवाहक द्वारा भेजी गई उत्तर प्रदेश वन निगम की चिट्ठियाँ उसे प्राप्त हुई समझी जायेगी। यदि क्रेता अपने स्थायी पते के अतिरिक्त किसी अन्य पते पर पत्र आदि प्राप्त करना चाहें तो ऐसे पते का स्पष्ट उल्लेख बिडलिस्ट में करना होगा। उक्त पते पर भी भेजी गई सभी पंजीकृत चिट्ठियाँ क्रेता को प्राप्त हुई समझी जायेगी।

13. अनुबन्ध— सफल क्रेता को लाट की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 07 दिनों के अन्दर अनुबन्ध सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के साथ करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक यह कार्यवाही न करने पर लाट की बिक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं जमा जमानत धनराशि स्वतः जब्त समझी जायेगी, जिसकी कोई सूचना बोलीदाता को देने का दायित्व वन निगम का नहीं होगा तथा लाट की पुनः बिक्री करने के लिये वन निगम स्वतंत्र होगा।

(ब) किसी अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या अविभाजित हिन्दू परिवार (कुटुम्ब) की ओर से बोली देने वाले व्यक्ति को अनुबन्ध करने के समय मुख्तारनामा या उसके पक्ष में सम्यक रूप से निष्पादित डीड या अन्य वैधानिक विलेख, जिसमें उसे यह प्राधिकार/शक्ति (अॅथारिटी) दी गयी हो, मूल रूप में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में उसके पक्ष में की गयी बिक्री को निरस्त करके जमा बन्धक धनराशि जब्त की जा सकती है। बोलीदाता को अपने स्थायी पते के प्रमाण हेतु सम्बन्धित तहसीलदार या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुबन्ध के समय देना अनिवार्य होगा तथा अपना नाम, पिता का नाम, अपना हस्ताक्षर एवं अपनी फोटो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाकर भी देना होगा।

(स) यदि कोई क्रेता अपने लाट का हस्तान्तरण किसी दूसरे क्रेता के नाम पर करना चाहता है तो ऐसा हस्तान्तरण दूसरे क्रेता द्वारा दस प्रतिशत (10%) अतिरिक्त जमानत तथा हस्तान्तरण शुल्क के रूप में रुपये दस हजार (रु. 10,000/-) मात्र जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा लिखित आदेश से किया जा सकता है। उक्त धनराशि पर जी0एस0टी0 भी नियमानुसार देय होगा।

(द) यदि किसी क्रेता ने एक ही प्रभाग की कई लाटें एक साथ क्रय की हों तथा वह इन लाटों की जमानत व किश्तों का निर्धारण एक साथ कराना चाहता हो तथा संयुक्त रूप से सभी लाटों के लिये एक अनुबन्ध करना चाहता हो तो, क्रेता के लिखित आवेदन पत्र पर ऐसा अनुबन्ध प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा किया जा सकता है। ऐसी दशा में उस अनुबन्ध की समस्त लाटों की कुल जमानत धनराशि का समायोजन अन्तिम निकासी के समय ही किया जायेगा।

- 14— विक्रय मूल्य/किश्त का भुगतान, माल की निकासी तथा निकासी की मात्रा — देय जमानत जमा करने एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के स्तर से विक्रय मूल्य की किश्त जमा करने एवं लाट से तेन्दू पत्ता निकासी हेतु आदेश जारी किया जायेगा। प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा जारी किये गये निकासी आदेश में दर्शित देय धनराशि का भुगतान एवं लाट से तेन्दू पत्ता की निकासी क्रेता को निम्नलिखित प्रकार से करनी होगी।

(अ) विक्रय मूल्य का भुगतान — अनुमानित विक्रय मूल्य के भुगतान हेतु किश्तें निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी —

1. जून/जुलाई के नीलाम की लाटों के लिये—

(i) रेनूकूट लौगिंग प्रभाग में परसोई एवं जुगैल गोदामों में भण्डारित लाटों के अलावा सामान्य ग्रेड की अन्य समस्त लाटों के लिये — रेनूकूट लौगिंग प्रभाग में परसोई एवं जुगैल गोदामों में भण्डारित लाटों के अलावा सामान्य ग्रेड की अन्य समस्त लाटों लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान चार (4) बराबर किशतों में करना होगा, जो तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी। प्रथम किशत बिक्री की स्वीकृति की तिथि से इक्तालीसवें (41 वें) दिन देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो (2) बराबर किशतों में करना होगा। प्रथम किशत इक्तालीसवें (41 वें) दिन तथा दूसरी किशत तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी।

(ii) रेनूकूट लौगिंग प्रभाग में परसोई एवं जुगैल गोदामों में भण्डारित लाटों के लिये — रेनूकूट लौगिंग प्रभाग के अन्तर्गत परसोई तथा जुगैल स्थित गोदामों में भण्डारित सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता लाटों का अनुमानित विक्रय मूल्य निम्न प्रकार तीन बराबर किशतों में जमा करना होगा।

पहली किशत— अन्य लाटों की भाँति स्वीकृति की तिथि के इक्तालीसवें (41वें) दिन।

दूसरी किशत— स्वीकृति की तिथि के एक सौ एकवें (101वें) दिन।

तीसरी अन्तिम किशत— स्वीकृति की तिथि के एक सौ इक्तीसवें (131वें) दिन। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के लिये पहली किशत स्वीकृति तिथि के इक्तालीसवें (41वें) दिन एवं दूसरी किशत स्वीकृति की तिथि के एक सौ एकवें (101वें) दिन देय होगी।

2. अगस्त/सितम्बर/अक्टूबर के नीलाम की लाटों के लिये—

सामान्य ग्रेड की समस्त लाटों के लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान तीन (3) बराबर किशतों में करना होगा, जो तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी। पहली किशत बिक्री की स्वीकृति की तिथि से इक्तालीसवें (41वें) दिन देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो (2) बराबर किशतों में करना होगा। पहली किशत इक्तालीसवें (41वें) दिन तथा दूसरी किशत तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी।

3. नवम्बर/दिसम्बर एवं पश्चातवर्ती नीलाम की लाटों के लिये—

सामान्य ग्रेड की समस्त लाटों के लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो (2) बराबर किशतों में करना होगा, जो तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी। पहली किशत बिक्री की स्वीकृति की तिथि से इक्तालीसवें (41वें) दिन देय होगी तथा दूसरी किशत तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान एक किशत में करना होगा।

नोट:— यदि अन्तिम किशत जमा करके निकासी करते समय विक्रय मूल्य अनुमानित विक्रय मूल्य से अधिक होता है, तो अन्तर की धनराशि जमा करने के बाद क्रेता को निकासी दी जायेगी। अनुमानित विक्रय मूल्य से अधिक की धनराशि को, अन्तिम किशत जमा करने के तीस (30) दिनों के अन्दर, परन्तु निकासी से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अन्तिम निकासी में विक्रय मूल्य अनुमानित मूल्य से कम होता है तो, किशतों की धनराशि वास्तविक विक्रय मूल्य की सीमा तक क्रेता को जमा करनी होगी। ऐसी स्थिति में भी अन्तिम देय किशत की देय तिथि से साठ (60) दिनों के अन्दर सम्पूर्ण निकासी क्रेता को लेनी होगी। यदि क्रेता अधिक धनराशि जमा कर देता है तो, उसे क्रेता के प्रार्थना पत्र देने पर वापस किया जायेगा।

4.(अ) यदि क्रेता द्वारा कय की गई लाट/लाटों का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य, प्रथम किश्त की देय तिथि तक जमा किया जाता है; तो उसे सम्पूर्ण विक्रय मूल्य की धनराशि पर एक प्रतिशत (1%) की छूट दी जायेगी।

(ब) किसी भी समय जमा किश्त की धनराशि (जमानत को छोड़कर) से अधिक मूल्य के माल की निकासी नहीं दी जायेगी। यदि कोई किश्त जमा है, तो इसके विरुद्ध निकासी अगली किश्त की देय तिथि से पूर्व तक ही क्रेता द्वारा ली जा सकती है अन्यथा, अगली किश्त की देय धनराशि जमा करने के उपरान्त ही निकासी दी जा सकेगी।

अन्तिम देय किश्त की तिथि से साठ (60) दिन के अन्दर सम्पूर्ण माल की निकासी लेनी होगी, परन्तु मार्च से जून के मध्य तीस (30) दिन के अन्दर ही सम्पूर्ण माल की निकासी लेनी होगी।

(स) यदि क्रेता निर्धारित किश्त से अधिक धनराशि जमा कर अधिक जमा धनराशि के अनुरूप निकासी लेना चाहता है तो, उसे इस प्रतिबन्ध के साथ निकासी दी जा सकेगी कि, उस अतिरिक्त धनराशि का समायोजन उक्त लाट की अन्तिम देय किश्त में किया जायेगा और इस प्रकार अतिरिक्त जमा धनराशि के अनुरूप ही निकासी आगामी निर्धारित किश्त की तिथि से पूर्व करनी आवश्यक होगी।

(द) क्रेता द्वारा निर्धारित किश्त जमा करने के उपरान्त (अन्तिम किश्त छोड़कर) अगली किश्त की देय तिथि से पूर्व तेन्दू पत्ता की निकासी लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा निकासी की देय अन्तिम तिथि से निकासी तक वास्तविक गोदाम किराया जो भी देय हो, प्रतिमाह लिया जायेगा। यदि 31 मार्च तक निकासी नहीं ली जाती है तो छः(06) पैसा प्रति सौ रुपये प्रति दिन की दर से प्लॉट रेंट लेते हुए अधिकतम तीस (30) दिनों की मियाद वृद्धि की अनुमति सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकेगी।

(य) शून्य काल— यदि वन निगम किन्हीं कारणों से, जो उसके नियंत्रण से परे हों, अधिकतम साठ (60) दिनों तक लाट की निकासी देने में असमर्थ होता है तो, जितनी अवधि तक निगम अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के तहत निकासी देने में असमर्थ रहा, उतनी अवधि को शून्य काल मानते हुए क्रेता को किश्त जमा करने एवं निकासी हेतु मियाद वृद्धि दी जायेगी। परन्तु इस प्रकार के शून्य काल के कारण क्रेता को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी एवं न ही बिक्री संविदा निरस्त होने योग्य होगी। जिस अवधि के लिये शून्य काल घोषित किया जायेगा, उतने ही दिनों से निकासी की अवधि तथा अगली किश्तों की देयता की अवधि भी बढ़ जायेगी। परन्तु किसी भी हालत में बिना धनराशि जमा किये गये निकासी नहीं की जायेगी।

15- समय से किश्त न जमा करने पर विलम्ब शुल्क, बिक्री का निरस्तीकरण तथा क्रेता का नाम काली सूची में अंकित किया जाना तथा पुनः बिक्री पर हानि की मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूली —

(अ) यदि शर्त संख्या-14 के अनुसार निर्धारित किश्त की देय तिथि पर कोई क्रेता किश्त की धनराशि जमा नहीं करता है तो, किश्त की देय तिथि से सात (07) दिनों के अन्दर बिना कोई विलम्ब शुल्क दिये क्रेता किश्त जमा कर सकता है, परन्तु यदि क्रेता किश्त की देय तिथि से सात (07) दिनों के अन्दर किश्त जमा नहीं करता है और उसे बाद की तिथि से जमा करना चाहता है तो, उसे इस आशय का लिखित आवेदन पत्र कारण दर्शाते हुये किश्त की देय तिथि से पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर प्रभागीय कार्यालय में देना होगा। ऐसे लिखित आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में रुपये एक सौ (रु. 100/-) मात्र तथा उस पर देय जी0एस0टी0 नकद या सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के नाम पर बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करके धन प्राप्ति रसीद

लेना अनिवार्य होगा। बिना आवेदन शुल्क के उसके आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और यह समझा जायेगा कि उसने कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है।

क्रेता द्वारा उपर्युक्त विधि से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर विचार करते हुये सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा छः (06) पैसे प्रति सौ रुपये प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क लेते हुये किश्त की देय तिथि से भुगतान की तिथि तक अधिकतम तीस (30) दिनों की समय सीमा तक मियाद वृद्धि दी जा सकती है। इसके उपरान्त अगले तीस (30) दिनों तक पूर्व निर्धारित दर पर मियाद वृद्धि देने का अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को होगा। **इसके पश्चात विशेष परिस्थितियों में विलम्ब शुल्क सहित मियाद वृद्धि देने का अधिकार महाप्रबन्धक (विपणन), उ० प्र० वन निगम लखनऊ को होगा।**

(ब) शर्त सं०-15 (अ) के अनुसार यदि क्रेता किसी किश्त की देय तिथि तक किश्त जमा नहीं करता है या निर्धारित विधि के अनुसार बढ़ाई गई समय सीमा में विलम्ब शुल्क सहित किश्त जमा नहीं करता है तो, लाट की बिक्री स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा क्रेता की जमा जमानत जब्त कर ली जायेगी एवं उसका नाम काली सूची में अंकित कर दिया जायेगा। वन निगम ऐसे लाटों को पुनः बेचने के लिये स्वतंत्र होगा। क्रेता को उसकी लाट की बिक्री निरस्त होने की कोई सूचना देने का दायित्व वन निगम का नहीं होगा।

(स) शर्त सं०-15 ब के अनुसार यदि किसी लाट की बिक्री निरस्त कर उसकी पुनः बिक्री की जाती है तो, बिक्री के उपरान्त कम मूल्य प्राप्त होने पर पूर्व क्रेता की जब्त की गयी जमानत की धनराशि को समायोजित करने के पश्चात् अवशेष धनराशि का समायोजन अन्य लाटों के विरुद्ध निगम में उक्त पूर्व क्रेता की जमा वापसी योग्य धनराशि से किया जायेगा।

(द) यदि शर्त संख्या- 15 स में उल्लिखित प्रक्रिया के उपरान्त भी निगम को हुई आर्थिक हानि की सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं होती है तो, आर्थिक हानि की अवशेष धनराशि की वसूली पूर्व क्रेता से भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी।

16- **निकासी की अवधि वृद्धि एवं गोदाम किराया** - यदि कोई क्रेता निर्धारित समय के अनुसार लाट की सम्पूर्ण देय धनराशि जमा कर देता है परन्तु शर्त -14 ब के अनुसार निर्धारित अवधि में लाट के सम्पूर्ण माल की निकासी नहीं ले पाता है तो, रुपये दो (रु. 2/-) मात्र प्रति वास्तविक बोरा प्रति माह की दर से गोदाम किराया लेकर निकासी हेतु अधिकतम तीस (30) दिनों की अवधि वृद्धि सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकती है। माह के अंश को गणना में पूरा माह माना जायेगा। पूरी किश्त की धनराशि जमा होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में अगले तीस (30) दिनों तक सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को तथा **इससे अधिक अवधि विस्तार का अधिकार महाप्रबन्धक, (विपणन) को होगा।** तत्पश्चात् लाट की बिक्री निरस्त कर जमा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य जब्त किया जायेगा।

क्रेता द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त की गयी निकासी की समय वृद्धि में यदि गोदाम में कोई दुर्घटना अथवा क्षति होती है तो, उसका उत्तरदायित्व निगम का नहीं होगा।

17- **विलम्ब शुल्क तथा गोदाम किराया की दरों को कम करने का अधिकार** - शर्त संख्या-15 एवं 16 में निर्धारित विलम्ब शुल्क तथा गोदाम किराया की दरों को प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को विशेष परिस्थितियों में, जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, कम करने का अधिकार उन्हें प्रतिनिधायित्व अधिकारों की सीमान्तर्गत नियमानुसार होगा।

18- **जमानत का समायोजन** - जमानत की धनराशि का समायोजन यदि क्रेता के विरुद्ध कोई अन्य बकाया न हो तो, लाट की अन्तिम किश्त के विरुद्ध किया जा सकता है।

19- **निकासी का परिमाण एवं समय** - क्रेता को तेन्दू पत्ता बोरे की निकासी प्रत्येक बोरे को तौल कर की जायेगी एवं माल की निकासी सूर्योदय से सूर्यास्त तक दी जायेगी।

- 20- **विक्रय मूल्य की धनराशि का भुगतान:** विक्रय मूल्य का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश निगम के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक का बना हुआ बैंक ड्राफ्ट/चेक या फिर आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 अथवा अन्य किसी अनुमन्य ऑनलाइन माध्यम से खाते में करना होगा एवं विक्रय मूल्य पर देय करें का भुगतान सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक के खाते में उपरोक्त माध्यमों के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 21- **संयुक्त रूप से विभिन्न लाटों के लिये धनराशि जमा करते समय लाटों का विवरण दिया जाना** - यदि किसी क्रेता द्वारा किसी एक प्रभाग में कई लाटें एक साथ क्रय की गयी हों तथा उसके द्वारा किशतों की धनराशि संयुक्त रूप से जमा की जाती है और विभिन्न लाटों में उसके समायोजन का विवरण नहीं दिया जाता है तो, उसके द्वारा जमा धनराशि का समायोजन गोदाम अधिकारी अपने विवेकानुसार क्रेता द्वारा क्रय की गयी लाटों के किशतों के विरुद्ध करेंगे एवं उसका विवरण धन प्राप्ति रसीद में लाटवार अंकित कर दिया जायेगा। अतः अपने हित में क्रेता धनराशि जमा करते समय उसके विभिन्न लाटों में समायोजन के सम्बन्ध में लिखित विवरण गोदाम अधिकारी को प्रस्तुत करके धन प्राप्ति रसीद में अंकित करवाना सुनिश्चित करवा लें। कोई भी गोदाम अधिकारी स्वयं अपने गोदाम में क्रेता की जमा धनराशि बिना प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक की पूर्व लिखित अनुमति के किसी दूसरे गोदाम हेतु हस्तान्तरित नहीं करेगा। प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के पूर्व लिखित अनुमति के पश्चात् गोदाम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि, जिस क्रेता की धनराशि हस्तान्तरित की जा रही है, उस क्रेता का कोई बकाया तथा उसके द्वारा क्रय की गयी लाट की कोई किशत, ऐसे हस्तान्तरण किये जाने के समय बकाया नहीं है एवं धनराशि हस्तान्तरण की प्रविष्टि लाट लेजर में कर ली गयी है।
- 22- **कर भार** -
- (अ) **आयकर** - भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार तेन्दू पत्ता की बिक्री पर नियमानुसार क्रेता से आयकर की वसूली की जायेगी।
- (ब) **मण्डी शुल्क एवं अन्य देय कर** - शर्त सं0 22 (अ) में वर्णित आयकर के अलावा तेन्दू पत्ता की बिक्री पर मण्डी शुल्क, जो वर्तमान में दो दशमलव पाँच प्रतिशत (2.5%) अथवा यथा संशोधित जैसी भी स्थिति हो, की दर से देय होगी, की वसूली क्रेता से पृथक् से की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कर यदि शासन द्वारा लगाया जाता है तो, उसकी भी वसूली सम्बन्धित क्रेता से की जायेगी।
- (स) **वर्तमान में प्रचलित जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) अधिनियम/नियमावली के अनुसार तेन्दूपत्ता की बिक्री पर नियमानुसार जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) की वसूली क्रेता से की जायेगी।**
- 23- **नियमों का पालन** - यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में तेन्दू पत्ता का व्यापार, उत्तर प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 (यथा अद्यतन संशोधित) द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अतिरिक्त तेन्दू पत्ता एक वनोपज होने के कारण भारतीय वन अधिनियम, 1927 भी इस पर लागू होता है। उक्त समस्त अधिनियमों एवं उनके अन्तर्गत समय-समय पर निर्गत नियमावलियों एवं अधिसूचनाओं के अन्तर्गत निकासी तथा तेन्दू पत्ता के परिवहन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने एवं सुसंगत नियमों का पालन करने का दायित्व क्रेता का होगा।
- 24- **विविध** - उपरोक्त शर्त संख्या 4, पत्तों के ग्रेड से सम्बन्धित शिकायत के अलावा यदि अन्य किसी बात पर क्रेता द्वारा शिकायत की जाती है तथा लाट की जाँच हेतु आवेदन किया जाता है तो, ऐसे आवेदन पर की जाने वाली जाँच के लिये रुपये पाँच (रु. 5/-) प्रति वास्तविक बोरा की दर से देय जी0एस0टी0 अतिरिक्त सहित क्रेता को अग्रिम रूप से धनराशि जमा करना होगा।

यह धनराशि सम्बन्धित प्रभाग के प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट जो सम्बन्धित प्रभाग के कार्यालय स्थान पर देय हो, के रूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। उक्त धनराशि के बिना क्रेता के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा यह समझा जायेगा कि उसके द्वारा कोई आवेदन पत्र दिया ही नहीं गया है। जाँच के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय यदि क्रेता के पक्ष में है तो, उस स्थिति में ऐसे निर्णय के पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर उक्त धनराशि क्रेता को वापस कर दी जायेगी तथा शिकायत सही होने की सीमा तक विवादित बोरों को अलग कर लाट का मूल्य तदनुसार संशोधित किया जायेगा, परन्तु शिकायत सही न पायी जाने की दशा में क्रेता उक्त धनराशि को वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। शिकायत एवं जाँच प्रक्रिया से किश्त जमा करने की तिथियों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। **जाँच प्रक्रिया में होने वाले व्यय को क्रेता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।**

25— न्यायिक वाद का क्षेत्राधिकार — इस तेन्दू पट्टा बिक्री से सम्बन्धित किसी भी लाट के सम्बन्ध में न्यायिक वाद, केवल उसी न्यायालय में दायर किया जा सकता है, जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उक्त लाट से सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक का कार्यालय आता है।

26— तेन्दू पट्टा नीलाम सूचना उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाइट www.upforestcorporation.co.in पर भी उपलब्ध होगी।

27— किसी भी समय लाट का अनुबन्ध होने के बाद भी, यदि यह संज्ञान में आता है कि, सम्बन्धित क्रेता/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो, उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

28— अधिवक्ता द्वारा ठेकेदारी में प्रतिभाग न किया जाना — राज्य विधिक परिषद (स्टेट बार कौंसिल) में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी की अनुमति नहीं है। यदि कोई अधिवक्ता ऐसी ठेकेदारी में प्रतिभाग करते हैं तो, उनके आवेदन सीधे निरस्त कर दिये जायेंगे।

यदि उपर्युक्त नीलाम के पश्चात यह तथ्य संज्ञान में आता है, तो ऐसी दशा में सम्बन्धित क्रेता की स्वीकृत लाटों को निरस्त कर दिया जायेगा एवं बन्धक धनराशि वापस कर ली जायेगी।

29— मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) - शर्तों के पालन सम्बन्धी विवाद में महाप्रबन्धक (तेन्दू पट्टा) उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) होंगे, जिनका निर्णय अन्तिम व उभय पक्षों को मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश वन निगम